न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चाहौन, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 15/2015

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
श्रीमति शारदा पुत्री लवजीराम जाति भील निवासी रोहुआ तहसील रेवदर जिला सिरोही		1 कान्तीलाल पुत्र नारणाजी जाति मेघवाल निवासी रोहुआ तहसील रेवदर जिला सिरोही 2 सवाराम पुत्र नारणाजी जाति मेघवाल निवासी रोहुआ तहसील रेवदर जिला सिरोही 3 हंजा पुत्री नारणाजी जाति मेघवाल निवासी रोहुआ तहसील रेवदर जिला सिरोही 4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रेवदर 5 उपखण्ड अधिकारी रेवदर जिला सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री ऋषि माथुर, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री हंसराज पुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 22.1.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 01/2010 में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.02.2012 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी रेवदर द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा पर विधि में प्रदत्त प्रक्रया अपनाते हुए ग्राम रोहुआ के खसरा नम्बर 427 में से 4 बीघा 1 बिस्वा भूमि का आवंटन वर्ष 2007 में अपीलाण्ट के पक्ष में किया है। इस आवंटन को निरस्त कराने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन किया कि उक्त खसरा नम्बर 427 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

भूमि सिलिंग में अवाप्त होने के पश्चात नारणा पुत्र कस्तूरजी मेघवाल निवासी रोहुआ के नाम से आवंटन हुई है तथा मौके पर कब्जा काश्त भी नारणा के विधिक वारिशान का है। अतः आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि आवंटी नाराणा एवं उसके पश्चात उसके विधिक वारिशान के नाम दर्ज कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये जैर अपील आदेश पारित किया तथा अपीलाण्ट के नाम किए गए आवंटन को निरस्त किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराने का आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के नाम जो नोटिस जारी किया गया, वह नोटिस अपीलाण्ट से व्यक्तिशः तामील भी नहीं हुआ। उक्त नोटिस पर तामील कुनिन्दा ने "अप्रार्थी संख्या 1 के घर पर हाजिर नहीं होने व आसामी के घर के बाहर चस्पा करने" की रिपोर्ट के साथ नोटिस अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया। उक्त चस्पांदगी विधि विरूद्ध रूप से दर्शाई गई है, क्योंकि वादस्थ भूमि के मौके पर झोंपड़ा बना हुआ है तथा अपीलाण्ट उसी झोंपड़े में निवास करती है, इसके बावजूद तामील कुनिन्दा की गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलाण्ट को प्रकरण की जानकारी हुए बिना ही एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीलींग में भूमि अवाप्त होकर आवंटन होने के आधार पर अपीलाण्ट का आवंटन निरस्त कर भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के पिता नारणा के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश पारित किया है, जबकि नारणा द्वारा न तो सीलींग प्रिमियम जमा करवाया गया तथा न ही आवंटन शर्तो की पालना की। इसके बावजूद भी तथाकथित आवंटन के 30 वर्ष पश्चात जैर अपील आदेश के जरिये बिना किसी आधार के नारणा का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने के आदेश पारित किये गए है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपीलाण्ट की अपील स्वीकार करावें एवं अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण का विधि सम्मत निस्तारण हेतु पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के पिता नारणाजी पुत्र किस्तूरजी मेघवाल को ग्राम रोहुआ के खसरा नम्बर 427 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा भूमि का आवंटन विधिवत रूप से किया जाकर कब्जा सुपुर्द किया था। प्रार्थीगण के पिता नारणा ने आवंटित भूमि का नियमानुसार प्रिमियम अदा किया तथा नियमानुसार कब्जा प्राप्त कर काबिज काश्त हुए। उक्त आवंटन का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं किए जाने के कारण उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज रही। इस कारण बिना मौके एवं राजस्व रेकर्ड की जांच किए उपखण्ड अधिकारी रेवदर द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के कब्जे काश्त की भूमि में से 4 बीघा 1 बिस्वा भूमि अपीलाण्ट के पक्ष में आवंटन कर दी। जो विधि विरूद्ध होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट के पक्ष में किए गए आवंटन को निरस्त करने एवं पूर्व में हुए आवंटन के आधार पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने का निवेदन किया, इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलाण्ट/अप्रार्थी को नोटिस जारी किया। जो आबाद मकान पर चस्पा किया गया, जिसे सम्यक तामील मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट/अप्रार्थी की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए, प्रस्तुत दस्तावेजात् के आधार पर जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावें।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में वकील अपीलाण्ट के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा बतौर प्रार्थी न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रोहुआ के खसरा नम्बर 427 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा भूमि सीलींग में अवाप्त होने के पश्चात प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता नारणा पुत्र किस्तूर को आवंटन हुई थी। जिसका सीलींग प्रिमियम भी आवंटी नारणा द्वारा अदा किया गया था, इसके बावजूद भी राजस्व रेकर्ड में नारणा को खातेदार दर्ज नहीं किया गया। इसके पश्चात उक्त भूमि वर्ष 2007 में अप्रार्थी संख्या 1/अपीलाण्ट के नाम आवंटन कर दी। इस कारण उक्त आवंटन को निरस्त कराने एवं पूर्व में सीलींग आवंटन के आधार पर खातेदारी दर्ज कराने का अनुतोष चाहा। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट/अप्रार्थी के नाम जो नोटिस जारी किया गया, उस नोटि पर तामील कुनिन्दा की यह रिपोर्ट पृष्ठांकित हुई कि "आसामी घर पर नहीं होने के कारण आसामी के मकान पर चस्पा किया गया। इसे तामील मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश पारित करते हुए दिनांक 23.02.2012 को जैर अपील आदेश पारित किया गया।

यहां यह प्रश्न प्रकट होता है कि क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्रथम नोटिस को चस्पांदगी के आधार पर सम्यक् तामील माना जाना न्यायोचित था ? इस सम्बन्ध में तामील की प्रक्रिया को रेखांकित किया जाना आवश्यक है। रेवेन्यू कोर्ट्स मैन्युअल (भाग–2) के अध्याय 3 के खण्ड (ग) तथा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 नियम 16, 17, 18 और परिशिष्ट (ख) का फार्म संख्या 11 व साथ ही आदेश 3 नियम 5 में सम्मन के तामील की प्रक्रिया विहित है। **सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, आदेश 5 नियम 17 – जब प्रतिवादी तामीली का प्रतिग्रहण करने से इन्कार करे या न पाया जाए, तब प्रक्रिया** –– जहॉ

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रतिवादी या उसका अभिकर्ता या उपरोक्त जैसा अन्य व्यक्ति अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करता है, या जहॉ तामील करने वाला अधिकारी सभी सम्यक् और युक्तियुक्त तत्परता बरतने के पश्चात प्रतिवादी को न पा सके (जो अपने निवास स्थान से उस समय अनुपस्थित है, जब उस पर समन की तामील उसके निवास स्थान पर की जानी है और युक्तियुक्त समय के भीतर उसके निवास स्थान पर पाये जाने की संभावना नही है) और ऐसा कोई अभिकर्ता नही है, जो समन की तामील का प्रतिग्रहण उसकी ओर से करने के लिये सशक्त है और न ही ऐसा कोई अन्य व्यक्ति है, जिस पर तामील की जा सके, वहॉ तामील करने वाला अधिकारी उस गृह के, जिसमें प्रतिवादी मामूली तौर से निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिये स्वयं काम करता है, बाहरी द्वार पर या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर समन की एक प्रति लगायेगा और तब वह मूल प्रति को उस पर पृष्ठांकित या उससे उपाबद्ध ऐसी रिपोर्ट के साथ जिसमें यह कथित होगा कि उसने प्रति को ऐसे लगा दिया है और वे कौन सी परिस्थितियां थी, जिसमें उसने ऐसा किया, कथित होगी और जिसमें उस व्यक्ति का (यदिकोई हो) नाम और पता कथित होगा, जिसने गृह पहचाना था और जिसकी उपस्थिति में प्रति लगाई गई थी, उस न्यायालय को लौटायेगा, जिसने समन निकाला था।

आदेश 5 नियम 19 – तामील करने वाले अधिकारी की परीक्षा –– जहां समन नियम 17 के अधीन लौटा दिया गया है, वहॉ तामील करने वाले अधिकारी की परीक्षा उसकी अपनी कार्यवाहियों की बाबत न्यायालय स्वयं या किसी अन्य न्यायालय द्वारा उस दशा में करेगा या कराएगा, जिसमें उस नियम के अधीन विवरणी तामील करने वाले अधिकारी द्वारा शपथ पत्र द्वारा सत्यापित नही की गई है और उस दशा में कर सकेगा या करा सकेगा, जिसमें वह ऐसे सत्यापित की गई है और उस मामले में ऐसी अतिरिक्त जांच कर सकेगा, जो वह ठीक समझे और या तो वह घोषित करेगा कि समन की तामील सम्यक् रूप से हो गई है या ऐसी तामील का आदेश करेगा, जो वह ठीक समझे।'' अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील प्रकरण में उक्त प्रक्रिया का पूर्णतः अभाव पाया गया है। इस कारण जिस तामील के आधार पर अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है। इस कारण इसे न्यायोचित नहीं माना जा सकता है।

अब द्वितीय प्रश्न यह प्रकट होता है कि तथाकथित सीलींग आवंटन के 25 वर्ष पश्चात हुए आवंटन को निरस्त किया जाकर पुनः सीलींग आवंटन के आधार पर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किऐ जाने का आदेश किस हद तक विधि सम्मत है ? राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण नियम 1973 के नियम 17 के तहत विहित अधिशेष भूमि के आवंटन के प्रावधान उपलब्ध है। इसके तहत उसी प्रक्रिया से आवंटन किए जाने के प्रावधान है, जिस प्रक्रिया से राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत आवंटन किया जाता है। नियम 18 के तहत आवंटिती को आवंटित भूमि कि कीमत चुकाने तथा कीमत चुकाने के पश्चात नियम 19 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान करने सम्बन्धी प्रक्रिया विहित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

है। इसके पश्चात नियम 20–क के तहत आवंटन की शर्तें भी उल्लेखित की गई है। जिसके अनुसार आवंटिती को आवंटन के प्रथम वर्ष में आवंटन की गई भूमि का 50 प्रतिशत तथा शेष क्षेत्र में दूसरे वर्ष खेती करनी आज्ञापक है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 14.05.1982 को ग्राम रोहुआ के खसरा नम्बर 427 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा भूमि का आवंटन नारणा पुत्र कस्तूर मेघवाल को नियमानुसार प्रिमियम अदायगी पर किया गया है। इसके अलावा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्ष 1992–1993 एवं 1994–1995 में जारी मांग पर्ची तथा रसीद की प्रतिलिपी प्रस्तुत की, जिसके अनुसार सीलींग प्रिमियम व ब्याज जमा करवाने का इन्द्राज है। उक्त मांग पर्ची व रसीद सत्यापित नहीं है तथा न ही तहसीलदार द्वारा इसकी पुष्ठि की है। इसके अतिरिक्त उक्त भूमि पर अपने कब्जे काश्त के सम्बन्ध में रेस्पोडैन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया, जो वादग्रस्त भूमि पर उनके कब्जे की ताईद करता हो। चूंकि आवंटन के पश्चात सम्भवतः आवंटी द्वारा सीलींग प्रिमियम जमा नहीं करवाया तथा कब्जा सुपुर्द किया गया हो, ऐसे तथ्य भी पत्रावली पर नहीं है। इस कारण उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक ही दर्ज रही। इसके पश्चात वर्ष 2007 में आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा के आधार पर उपखण्ड अधिकारी रेवदर द्वारा वादग्रस्त भूमि का आवंटन अपीलाण्ट के पक्ष में कर दिया तथा दिनांक 03.04.2007 को पटवारी हल्का द्वारा अपीलाण्ट को उक्त आवंटित भूमि का कब्जा भी सुपुर्द किया। उक्त आवंटन के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 947 दायर किया गया, जिसे उप तहसीलदार मण्डार द्वारा दिनांक 26.05.2007 को स्वीकृत करते हुए अपीलाण्ट का नाम बतौर गैर खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया, जिसके पश्चात से अपीलाण्ट जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 में खसरा नम्बर 427/901 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा भूमि की गैर खातेदार दर्ज है। आर0आर0डी0 1986 पेज 137 में माननीय मण्डल की एकलपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक बार खातेदारी अधिकार मिलने पर आवंटी को वे सभी अधिकार प्राप्त हो जाते है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 द्वारा उसे प्रदत्त किये गये है, जिसमें एक अधिकार यह भी है कि किसी भी खातेदार कृषक को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में वर्णित तरीके के अलावा किसी अन्य तरीके से किसी भी रूप में बेदखल नही किया जा सकेगा। इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की वृहदपीठ द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 948/1986 पतराम व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में दिनांक 31.08.1995 को पारित निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि "The khatedari rights conferred upon the tenant can be withdrawn only in accordance with the provisions of the Rajasthan Tenancy Act. 1955, and the Collector has no power under rule 14(4) of the Act to cancel the allotment made in favour of the petitioners with respect to the land in which the khatedari right have already been conferred upon them because after the conferment of the Khatedari right, the

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

applicability of the rules come an end, The power under sub Rule (4) of Rule 14 of the Rules,1970 can be exercised by the Collector before conferment of the Khatedari rights and after the conferment of the khatedari rights, the petitioners acquired all the rights for which they are entitled under the Rajasthan Tenancy Act and there after the provisions of Sub-rule (4) of rule 14 of the Rules, 190 has no applicable." इसके अतिरिक्त तथाकथित सीलींग आंवटन के 30 वर्ष पश्चात समरी प्रोसिडिंग के जरिये खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना विधि सम्मत नहीं है, इस हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को सक्षम न्यायालय में खातेदारी घोषणा के वाद के जरिये ही अनुतोष प्राप्त हो सकता था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट का आवंटन निरस्त कर नारणाजी पुत्र किस्तूरजी मेघवाल के नाम राजस्व रेकर्ड में अलम दरामद करने का आदेश पारित किया है, जिसे विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण संख्या 01/2010 में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.02.2012 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को समुचित साक्ष्य, सुनवाई का अवसर प्रदान कर राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण नियम 1973 तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं साथ ही राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 में विहित सन्दर्भित कानूनों के परिप्रेक्ष्य मे प्रकरण का परीक्षण कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.1.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली